



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253425
CG-DL-E-28032024-253425

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2024/चैत्र 6, 1946

No. 73]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

(मामला संख्या: सीवीडी एसएसआर-14/2023)

विषय: चीन जन.गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैक्रीन" के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/34/2023-डीजीटीआर.—1 . स्वाति पैट्रो प्रोडक्ट्स लि. और मै. ब्ल्यू जैट हेल्थकेयर लि. (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "सीवीडी नियमावली" या "नियमावली" भी कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैक्रीन" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

क. पृष्ठभूमि

2. प्राधिकारी द्वारा मूल सब्सिडीरोधी जांच 10 अगस्त, 2018 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 6/18/2018-डीजीएडी दिनांक 19 जून, 2019 के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। निश्चयात्मक उपाय वित्त मंत्रालय द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 02/2019-सीमाशुल्क (सीवीडी) दिनांक 30 अगस्त, 2019 के माध्यम से लगाए गए थे।
3. इसके अलावा, प्राधिकारी ने यह निर्धारण करने के लिए कि क्या मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का विस्तार थाइलैंड से सैक्रीन आयातों पर किया जाना चाहिए, दिनांक 17 मार्च, 2022 की अधिसूचना द्वारा परिवंचनारोधी जांच शुरू की थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं.7/05/2022-डीजीटीआर दिनांक 26 जुलाई, 2022 के माध्यम से सिफारिश की है कि मौजूदा उपाय को थाइलैंड से सैक्रीन के आयातों पर भी बढ़ाया जाए।

ख. परामर्श

4. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार प्राधिकारी ने जांच शुरूआत से पहले परामर्श के लिए चीन सरकार को आमंत्रित किया है। तथापि, चीन की सरकार ने भागीदारी की पुष्टि नहीं की और आवेदन में दिए गए तथ्यों और साक्ष्यों की मौजूदगी पर विवाद किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार के अनुच्छेद 11.2 में प्रावधान है कि "आवेदन में ऐसी सूचना होगी जो आवेदक के पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध हो"। प्राधिकारी मानते हैं कि सभी कथित कार्यक्रमों, उनके प्रतिसंतुलन योग्य होने और उनमें प्राप्त लाभों की मात्रा का विश्लेषण संगत नियमों के अनुसार इस जांच के जरिए किया जाना अपेक्षित है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद अर्थात् "सैक्रीन" मूल जांच के समान है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जैसा मूल जांच में परिभाषित है।
6. सैक्रीन एक गैर-पोषक स्वीटनर है और इसे गन्ने की चीनी का कम कैलोरी वाला प्रतिस्थापक माना जाता है। प्राथमिक रूप से दो तरह के सैक्रीन अर्थात् घुलनशील और अघुलनशील होते हैं। बाजार शब्दावली में घुलनशील सैक्रीन को सोडियम सैक्रीन कहा जाता है जबकि अघुलनशील सैक्रीन को सैक्रीन या सैक्रीन ऐसिड कहा जाता है। सैक्रीन को दो भौतिक रूपों अर्थात् दानेदार और पाउडर रूप में उत्पादित किया जाता है। दानेदार रूप में सोडियम सैक्रीन का उपयोग ऐसी स्थिति में होता है जहां सैक्रीन को घोला जाएगा, पिसे हुए पाउडर रूप और स्प्रे ड्राइड का प्रयोग सूखे मिश्रण और भेषजों में होता है। यह जल में थोड़ा घुलनशील है। इनके अघुलनशील रूप का प्रयोग अनेक भेषज और चिकित्सीय प्रयोग में होता है। सैक्रीन का प्रयोग अनेक उद्योगों जैसे खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पादों, टेबलटॉप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर, भेषज आदि में होता है। सैक्रीन के सभी रूप वर्तमान जांच के दायरे के भीतर हैं।
7. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के सीमाशुल्क उप शीर्ष सं. 29251100 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 में वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।
8. आवेदकों ने वर्तमान आवेदन में किसी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की इकाई कीमत में उतार-चढ़ाव देखे हैं। हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन संबंधी अपनी टिप्पणियां/अनुरोध, यदि कोई हों, प्रस्तुत कर सकते हैं।

घ. समान वस्तु

9. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है। यह बताया गया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और चीन जन.गण. से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, संबद्ध वस्तु के उत्पाद विनिर्देशन की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा

उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को चीन से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ड. घरेलू उद्योग और स्थिति

10. यह आवेदन स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् ए.एस. केमोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड और श्री वरदायिनी केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड।
11. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

च. सब्सिडी कार्यक्रम

12. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देश में उन प्रदेशों और जिलों, जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, सहित सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडियों का लाभ मिलना जारी है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ऐसे अतिरिक्त कार्यक्रम या स्कीमों हैं जिन पर वर्तमान जांच में विचार और जांच की जानी चाहिए।

क) मूल जांच में पूर्व में प्रतिसंतुलित स्कीमों : आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश की सरकार ऐसी निम्नलिखित स्कीमों को जारी रखे हुए है जिन्हें पहले प्रतिसंतुलित किया गया था।

चीन में अनुदान के रूप में कार्यक्रम

1. कार्यक्रम संख्या 2: प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम
2. कार्यक्रम संख्या 3: पाटनरोधी जांच के लिए अनुदान
3. कार्यक्रम संख्या 4: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान/औद्योगिक प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास निधि
4. कार्यक्रम संख्या 5: निर्यात सहायता अनुदान
5. कार्यक्रम संख्या 6: शेरों की लिस्टिंग के लिए अनुदान
6. कार्यक्रम संख्या 7: गुआंगडोंग प्रांत में उद्योगों के बाहरी विस्तार के लिए निधियां
7. कार्यक्रम संख्या 8: वित्तीय और तकनीकी नवाचार के लिए प्रांतीय निधि के माध्यम से प्रदत्त अनुदान
8. कार्यक्रम संख्या 10: निर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि
9. कार्यक्रम संख्या 13: लघु और मध्यम आकार के उद्यम के लिए समर्थन निधि
10. कार्यक्रम संख्या 14: तकनीकी छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए तकनीकी नवाचार का समर्थन करने के लिए निधि।
11. संख्या 15: टियांजिन बिन्हाई न्यू एरिया और टियांजिन आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्र में उपलब्ध सब्सिडी
12. कार्यक्रम संख्या 16: प्रमुख उद्योग और अभिनव प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशेष निधि
13. कार्यक्रम संख्या 17: उद्यम विकास निधि
14. कार्यक्रम संख्या 18: जियांग्सु प्रांत द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान
15. कार्यक्रम संख्या 19: जियांग्सु प्रांत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुदान
16. कार्यक्रम संख्या 20: परियोजना अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता निधि

17. कार्यक्रम संख्या 27: टियांजिन के बिन्हाई न्यू एरिया में स्थिर संपत्तियों पर त्वरित मूल्यहास कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम
18. कार्यक्रम संख्या 33: विदेशी निवेश उद्यमों के लिए दो निःशुल्क / तीन हाफ कार्यक्रम
19. कार्यक्रम संख्या 34: भौगोलिक स्थान के आधार पर एफआईई के लिए निर्यातोन्मुख एफआईई/आयकर लाभ के लिए कर कटौती
20. कार्यक्रम संख्या 35: एफआईई में अनुसंधान और विकास के लिए कर प्रतिपूर्ति
21. कार्यक्रम संख्या 37: ऐसी कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां जो उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों/उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्यमों के लिए आयकर में कटौती
22. कार्यक्रम संख्या 38: पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमानी आयकर नीति
23. कार्यक्रम संख्या 39: केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अधिमानी कर छूट
24. कार्यक्रम संख्या 40: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां
25. कार्यक्रम संख्या 41: ऐसी कंपनियों के लिए उपलब्ध कर वरीयता जो कम लाभ पर कार्यरत हैं
26. कार्यक्रम संख्या 42: घरेलू रूप से उत्पादित उपकरण खरीदने के लिए एफआईई के लिए वैट रिफंड
27. कार्यक्रम संख्या 43: स्थिर संपत्तियों की खरीद के लिए वैट और टैरिफ छूट
28. कार्यक्रम संख्या 44: पसंदीदा उद्योगों के लिए आयातित उपकरण पर वैट और टैरिफ छूट
29. कार्यक्रम संख्या 45: विदेशी निवेश (एफआईई) के साथ उद्यमों के लिए अधिमानी कर नीतियां विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित (शंघाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़कर)
30. कार्यक्रम संख्या 46: तटीय आर्थिक ओपन क्षेत्रों में स्थापित और आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्रों में एफआईई के लिए अधिमानी कर नीतियां
31. कार्यक्रम संख्या 47: शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमानी कर नीतियां
32. कार्यक्रम संख्या 48: एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में कॉर्पोरेट आयकर छूट और/या कटौती
33. कार्यक्रम संख्या 49: एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट और/या कमी
34. कार्यक्रम संख्या 50: एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपकरणों पर टैरिफ और मूल्यवर्धित कर (वैट) छूट
- पर्याप्त से मूल्य के रूप में कार्यक्रम**
35. कार्यक्रम संख्या 51: पर्याप्त से कम मूल्य/इनपुट/सेवाओं पर विद्युत
36. कार्यक्रम संख्या 52: पर्याप्त भुगतान/इनपुट/सेवाओं से कम पर दिया गया कच्चा माल
- अधिमानी ऋण और उधार के रूप में अभिज्ञात**
37. कार्यक्रम संख्या 53: नीतिगत ऋण
- निर्यात ऋण वित्त पोषण के रूप में कार्यक्रम**
39. कार्यक्रम संख्या 56: निर्यात-आयात बैंक ऑफ चाइना-क्रेडिट उधार से निर्यात विक्रेता के लिए क्रेडिट
40. कार्यक्रम संख्या 57: चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात क्रेता का क्रेडिट
41. कार्यक्रम संख्या 58 : चीन निर्यात और क्रेडिट बीमा निगम से निर्यात ऋण बीमा
42. कार्यक्रम संख्या 59: चीन के निर्यात-आयात बैंक से अधिमानी निर्यात वित्त पोषण।
43. कार्यक्रम संख्या 60: क्रेडिट लाइनों का प्रावधान

44. कार्यक्रम संख्या 61: निर्यात-आयात बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिमानी ऋण "विदेशी निवेश के लिए गोइंग आउट (वैश्विक)" रणनीति

इक्विटी निवेश के रूप में कार्यक्रम

45. कार्यक्रम संख्या 64: इक्विटी स्वैप के लिए ऋण
46. कार्यक्रम संख्या 65: इक्विटी निवेश
47. कार्यक्रम संख्या 66: अप्रदत्त लाभांश

ख) नए सब्सिडी कार्यक्रम: आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश की सरकार ने निम्नलिखित नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनकी वजह से संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियां प्राप्त हुई हैं।

अनुदान के रूप में कार्यक्रम

1. कार्यक्रम संख्या 1: स्थित संपत्ति निवेश सब्सिडियां
2. कार्यक्रम संख्या 2: आर्थिक और व्यापार विकास के लिए विशेष निधि
3. कार्यक्रम संख्या 3: हेफेई आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास जोन में स्थित कंपनियों के लिए सब्सिडियां
4. कार्यक्रम संख्या 4: विदेशी निवेश उद्यमों के लिए अनहुई प्रांत की सब्सिडियां
5. कार्यक्रम संख्या 5: हैफेई नगर पालिका निर्यात संवर्धन नीतियां
6. कार्यक्रम संख्या 6: ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी/ ऊर्जा बचत संरक्षण और उत्सृजन अनुदानों के रूपांतरण के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था/प्रोत्साहन निधि का ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार/ संवर्धन के लिए विशेष निधि
7. कार्यक्रम संख्या 7: भागीदार निर्यातकों द्वारा सूचित उपकरण की खरीद के लिए अनुदान
8. कार्यक्रम संख्या 8: विदेशी विद्वानों को लाने के लिए अनुदान
9. कार्यक्रम संख्या 9: प्रांतीय/परफैक्चुरल/नगर पालिका सरकार प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त रोजगार स्थिरीकरण, स्नातक प्रशिक्षण और भर्ती के लिए अनुदान
10. कार्यक्रम संख्या 10: डोक्टरल पश्चात अनुसंधानकर्ता वित्त पोषण
11. कार्यक्रम संख्या 11: उपकरणों के रखरखाव और प्रचालन के लिए अनुदान
12. कार्यक्रम संख्या 12: प्रांतीय/परफैक्चुरल/नगर पालिका सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त पुनः स्थापन क्षतिपूर्ति
13. कार्यक्रम संख्या 13: प्रांतीय/परफैक्चुरल/नगर पालिका सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त विशेषज्ञ परियोजनाओं/प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तदर्थ अनुदान
14. कार्यक्रम संख्या 14: प्रतिभा प्रारंभ निधि
15. कार्यक्रम संख्या 15: शोध रिपोर्ट लेखन व्यय निधि
16. कार्यक्रम संख्या 16: सेवा उद्योग विका निधि
17. कार्यक्रम संख्या 17: स्व-स्वामित्व ब्रांड विकास पंजीकरण शुल्क वापसी
18. कार्यक्रम संख्या 18: आयात उपकरण ब्याज सब्सिडी
19. कार्यक्रम संख्या 19: निर्यात रिवाइड
20. कार्यक्रम संख्या 20: पेटेंट सृजन और सहायता निधि
21. कार्यक्रम संख्या 21: लिस्टेड कंपनियों के लिए सब्सिडियां
22. कार्यक्रम संख्या 22: केन्द्रीय, प्रांतीय और नगर/क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को प्राप्त विभिन्न सरकारी अनुदान/तदर्थ अनुदान

23. कार्यक्रम संख्या 23: ऋण और ब्याज के वित्त पोषण के लिए अनुदान
24. कार्यक्रम संख्या 24: ग्रीन फैक्टरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम

25. कार्यक्रम संख्या 25: ऐसी कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियां/आयकर कटौतियां जिन्हें उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है।
26. कार्यक्रम संख्या 26: केन्द्रीय, प्रादेशिक या नगर पालिका/क्षेत्रीय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा कर और शुल्कों की वापसी/छूट/रिमीशन
27. कार्यक्रम संख्या 27: आयात इनपुट के लिए आयात टैरिफ/प्रभारों और वैट में राहत

पर्याप्त से कम मूल्य के रूप में कार्यक्रम

28. कार्यक्रम संख्या 28: पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान
29. कार्यक्रम संख्या 29: औद्योगिक और अन्य विशेष आर्थिक जोन पर एल टी ए आर पर भूमि उपयोग अधिकार
30. कार्यक्रम संख्या 30: एल टी ए आर पर राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए भूमि का प्रावधान
31. कार्यक्रम संख्या 31: विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए एल टी ए आर पर भूमि उपयोग अधिकार
32. कार्यक्रम संख्या 32: आर्थिक विकास जोन में एल टी ए आर पर भूमि उपयोग अधिकार
33. कार्यक्रम संख्या 33: एल टी ए आर पर कॉस्टिक सोडा का प्रावधान
34. कार्यक्रम संख्या 34: एल टी ए आर पर सल्फ्यूरिक ऐसिड का प्रावधान
13. निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी अन्य सब्सिडियों की जांच कर सकते हैं जिन्हें जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए मौजूद पाया जाए और वे उनका लाभ ले रहे हों।

छ. सब्सिडी और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना

14. घरेलू उद्योग को आयातों के कारण हुई क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति करने वाली सब्सिडी के जारी रहने की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद अधिक बनी रही है। आवेदकों ने सब्सिडी के जारी रहने, तीसरे देश से क्षति मार्जिन या संबद्ध देश में क्षमता वृद्धि, शुल्कों की अनुपस्थिति में आयातों का ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव और सब्सिडीरोधी शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग के निष्पादन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और सब्सिडीकरण तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी सीवीडी नियमावली के नियम 24 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. संबद्ध देश

16. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

ञ. जांच की अवधि

17. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि अक्टूबर, 2022 – सितंबर, 2023 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में जांच की अवधि और 2020-21, 2021-22 और 2022-23 पर विचार किया गया है।

ट. प्रक्रिया

18. यह निर्णायक समीक्षा जांच अंतिम जांच परिणाम सं. 6/18/2018-डीजीएडी दिनांक 19 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलुओं को शामिल करेगी। प्राधिकारी मूल प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के लागू होने के बाद शुरू की गई नई सब्सिडी स्कीमों की भी जांच करेंगे। प्राधिकारी लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति पर सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे।
19. नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के प्रावधान वर्तमान जांच में आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

20. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादकों को नीचे उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने के लिए वे प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट (<http://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ड. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
33. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर उक्त ई-मेल पतों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय अंश या नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के संबंध में पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीय अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
- ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें। अनुरोध/उत्तर/ सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।
- त. असहयोग**
37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2024

(Case No. CVD-SSR- 14/2023)**Subject: Initiation of a sunset review investigation of countervailing duty concerning imports of “Saccharin” originating in or exported from China PR**

F. No. 7/34/2023-DGTR.—1. M/s. Swati Petro Products Ltd. and M/s. Blue Jet Healthcare Ltd. (hereinafter collectively referred to as applicants) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "CVD Rules" or "Rules") for the initiation of a sunset review investigation of countervailing duties concerning imports of “Saccharin” (hereinafter referred to as the "subject goods" or “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

A. BACKGROUND

2. The original anti-subsidy investigation was initiated by the Authority on 10th August 2018. The Authority recommended the imposition of definitive anti-subsidy duties on the imports of the subject goods from the subject country vide final finding no. 6/18/2018-DGAD dated 19th June 2019. The definitive measures were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 02/2019- Cus (CVD) dated 30th August, 2019.
3. Further, the Authority initiated an anti-circumvention investigation vide notification dated 17th March, 2022 for determination of whether existing countervailing duty must be extended to imports of Saccharin from Thailand. The Authority vide Final Finding No. 7/05/2022- DGTR dated 26th July 2022 recommended that the existing measures be extended to imports of Saccharin from Thailand.

B. CONSULTATION

4. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, the Authority invited Government of China for pre-initiation consultation. However, the Government of China did not confirm its participation and disputed the existence of merits and evidence provided in the application. The Authority notes that Article 11.2 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures provides that “the application shall contain such information as is reasonably available to the applicant”. The Authority considers that the existence of all alleged programs, their countervailability and extent of benefit therein are required to be analysed through an investigation as per the relevant rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

5. The product under consideration is the same as in the original investigation i.e., “Saccharin”. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.
6. Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble saccharin is called saccharin or saccharin acid. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, tabletop sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. All forms of saccharin are within the scope of the present investigation.
7. The product under consideration is classified in Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs subheading no. 29251100 of the Customs Tariff Act, 1975. However, Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.
8. The applicants have not proposed any PCNs in the present application. The Authority has observed fluctuations in the unit price of the product under consideration. The interested parties may offer their

comments/submissions on the PUC/ PCN, if any, within thirty days from the date of date of initiation of this investigation.

D. LIKE ARTICLE

9. The applicants have claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject good originating in or exported from China PR. It has been stated that the article produced by the applicants and that imported from China PR are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicants are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that consumers are using the subject goods and the article manufactured by the applicants interchangeably. Thus, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry is being treated as 'like article' of the subject goods imported from China.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. The application has been filed by Swati Petro Products Ltd. and Blue Jet Healthcare Ltd. There are two other producers producing subject goods, namely, A.S. Chemopharma Pvt. Ltd. and Shree Vardayini Chemical Industries Pvt. Ltd.
11. As per the evidence available on record, production of the applicants accounts for "major proportion" of total Indian production. Further, the applicants have not imported the subject goods from the subject country nor are they related to any the importer or the exporter of the subject goods. In view of the above, the Authority notes *prima facie* that the applicants constitute an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules supra.

F. SUBSIDY PROGRAMS

12. The applicants have alleged that the producers/ exporters of the subject goods in the subject country continue to be benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the governments of the subject country, including the provinces and districts in which producers/exporters are located. The applicants have also claimed that there are additional programs or schemes that should be considered and examined in the present investigation.

- a) **Schemes previously countervailed in the Original Investigation:** The applicants have alleged that the Government in the subject country continues to maintain following schemes that were previously countervailed:

Programs in the Form of Grants in China

1. Program No. 2: Famous Brands Program
2. Program No. 3: Grants for Anti-Dumping Investigations
3. Program No. 4: Research & Development (R&D) Assistance Grant/Research and development fund for industrial technologies
4. Program No. 5: Export Assistance Grant
5. Program No. 6: Grants for Listing Shares
6. Program No. 7: Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province
7. Program No. 8: Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation
8. Program No. 10: International Market Fund for Export Companies
9. Program No. 13: Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
10. Program No. 14: Funds for supporting technological innovation for the technological small and medium-sized enterprises.
11. Program No. 15: Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
12. Program No. 16: State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
13. Program No. 17: Enterprise Development Funds
14. Program No. 18: Direct Government Grants given by Jiangsu Province
15. Program No. 19: Grants under the Science and technology Program of Jiangsu Province
16. Program No. 20: Support Funds for Construction of Project Infrastructure
17. Program No. 27: Accelerated Depreciation on Fixed Assets in Binhai New Area of Tianjin

Programs in the form of Tax and VAT Incentives

18. Program No. 33: Two Free/Three Half Program for Foreign Invested Enterprises
19. Program No. 34: Tax Reductions for Export-Oriented FIEs / Income tax benefit for FIEs based on geographical location
20. Program No. 35: Tax Offsets for Research and Development at FIEs
21. Program No. 37: Preferential tax policies for companies that are recognised as high and new technology companies/enterprise income tax reduction for high and new technology enterprises
22. Program No. 38: Preferential Income Tax Policy for Enterprises in the Northeast Region
23. ProgramNo.39: Preferential Tax exemptions for Central & Western Regions
24. Program No. 40: Tax Policies for the deduction of Research and Development (R&D) expenses
25. Program No. 41: Tax Preference Available to Companies that Operate at a Small Profit
26. Program No. 42: VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically Produced Equipment
27. Program No. 43: VAT and Tariff Exemptions for Purchases of Fixed Assets
28. Program No. 44: VAT and Tariff Exemptions on Imported Equipment for Favored Industries
29. Program No. 45: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)
30. Program No. 46: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
31. Program No. 47: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
32. Program No. 48: Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
33. Program No. 49: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
34. Program No. 50: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas

Programs in the form of Less than Adequate Remuneration

35. Program No. 51: Electricity for Less than Adequate Remuneration/Inputs/ Services
36. Program No. 52: Raw Material for Less than Adequate Remuneration/Inputs/ Services

Programs in the form of Preferential Loans and Lending

37. Program No. 53: Policy Loans

Programs in the form of Export Credit Financing

39. Program No. 56: Export Seller's Credits from Export-Import Bank of China - Credit Borrowing
40. Program No. 57: Export Buyer's Credit from Export-Import Bank of China
41. Program No. 58: Export Credit Insurance from the China Export and Credit Insurance Corporation
42. Program No. 59: Preferential Export Financing from the Export-Import Bank of China
43. Program No. 60: Provision of Credit Lines
44. Program No. 61: Preferential loans provided by the Export-Import Bank "going out (global)" strategy for outbound investment

Programs in the form of Equity Infusions

45. Program No. 64: Debt for Equity Swaps
46. Program No. 65: Equity Infusions
47. Program No. 66: Unpaid Dividends

- b) **New Subsidy Programs:** The applicants have alleged that the Government in the subject country has introduced following new measures, by virtue of which, the producers of the subject goods have received countervailable subsidies:

Programs in the Form of Grants

1. Program No. 1: Fixed Asset Investment Subsidies
2. Program No. 2: Special fund for economic and trade development

3. Program No. 3: Subsidies for Companies Located in the Hefei Economic and Technology Development Zone
4. Program No. 4: Anhui Province Subsidies for Foreign-Invested Enterprises
5. Program No. 5: Hefei Municipal Export Promotion Policies
6. Program No. 6: Special funds for energy saving technology reform/promotion of circular economy/incentive fund for transformation of energy-saving technology/energy saving conservation and emission grants
7. Program No. 7: Grants for purchase of equipment reported by participating exporters
8. Program No. 8: Grant for Bringing in Foreign Intellectuals
9. Program No. 9: Grants for Employment Stabilization, Graduates Training and recruitment provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
10. Program No. 10: Postdoctoral researchers funding
11. Program No. 11: Grants for maintenance and operation of equipments
12. Program No. 12: Relocation Compensation provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
13. Program No. 13: Ad-hoc grants for implementing specialized projects/pilot projects provided by provincial/prefectural/municipal government authorities
14. Program No. 14: Talent Introduction Fund
15. Program No. 15: Research report writing expenditure fund
16. Program No. 16: Service industry development fund
17. Program No. 17: Self-owned Brand Development Registration Fee refund
18. Program No. 18: Import Equipment interest subsidy
19. Program No. 19: Export Rewards
20. Program No. 20: Patent Creation and Support Fund
21. Program No. 21: Subsidies for Listed Companies
22. Program No. 22: Various Government grants- Received by producers/exporters of China PR/ Ad hoc grants provided by central, provincial and municipal/regional authorities
23. Program No. 23: Grants for financing loans and interest
24. Program No. 24: National Award for Green Factory

Programs in the form of Tax and VAT Incentives

25. Program No. 25: Preferential tax policies/Income Tax Reductions for companies that are recognised as high and new technology companies
26. Program No. 26: Refund/Rebate/Remission of taxes and fees by central, provincial, or municipal/regional government authorities
27. Program No. 27: Import Tariff/Charges and VAT Relief for imported inputs

Programs in the form of Less than Adequate Remuneration

28. Program No. 28: Provision of Electricity for Less than Adequate Remuneration
 29. Program No. 29: Land Use rights at LTAR in Industrial and Other Special Economic Zone
 30. Program No. 30: Provision of Land to State Owned Enterprises at LTAR
 31. Program No. 31: Land Use rights at LTAR for Foreign Invested Enterprises
 32. Program No. 32: Land Use rights at LTAR in Economic Development Zones
 33. Program No. 33: Provision of Caustic Soda for LTAR
 34. Program No. 34: Provision of Sulphuric Acid for LTAR
13. The Designated Authority may investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/ exporters of the subject goods in the subject country, during the course of the investigation.

G. LIKELIHOOD OF CONTINUATION/RECURRENCE OF SUBSIDY AND INJURY

14. There is *prima facie* evidence of likelihood of continuation of subsidy causing continued/recurrence of injury caused by imports to the domestic industry. The quantity of imports of the subject goods from the subject country has remained high despite the existence of countervailing duties. The applicants have submitted evidence of continuation of subsidy, third country injury margin, capacity additions in the subject country, suppression or depression effect of imports in the absence of duties, and likely adverse impact of cessation of anti-subsidy duty on the performance of the domestic industry.

H. INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION

15. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicants, substantiating likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of countervailing duty on imports of the subject goods from the subject country and to examine whether the expiry of the existing countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidy and consequent injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 of the Act, read with Rule 24 of the CVD Rules.

I. SUBJECT COUNTRY

16. The subject country for the present investigation is China PR.

J. PERIOD OF INVESTIGATION

17. The Period of Investigation in the present investigation is October 2022- September 2023 (12 months). The injury investigation period has been considered as the period of investigation and 2020-21, 2021-22, and 2022-23.

K. PROCEDURE

18. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide final finding no. 6/18/2018-DGAD dated 19th June 2019. The Authority will also examine new subsidy schemes introduced after the imposition of the original countervailing duty. The Authority will undertake likelihood analysis of continuation/ recurrence of subsidization and injury in the event of expiry of countervailing duty in force.
19. The provisions of Rules 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 18, 19, 20, 21 and 22 shall apply *mutatis mutandis* in the present investigation.

L. SUBMISSION OF INFORMATION

20. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
21. The known producers/exporters from the subject country, their government through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

M. TIME LIMIT

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the CVD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the

instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

N. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.
28. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non- confidential versions separately.
29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The interested parties can offer their comments on the aforementioned email addresses on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

O. INSPECTION OF PUBLIC FILE

36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/ responses/ information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

P. NON- COOPERATION

37. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority